राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5190/2022

सुभिता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2022
आदेश की दिनांक : .....

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि आदेश दिनांक 03.08.2022 के द्वारा सुनिल कुमार, राकेश कुमार मेहता, पूनम भास्कर एवं शकुंतला का जिला अस्पताल, झुंझुनूं में स्थानांतरण करने के पश्चात् अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2022 (अनुलग्नक–1) के अनुसार नर्सिंग आफिसर, जिला अस्पताल झुंझुनूं से 300 किमी दूर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया है। पत्र दिनांक 22.06.2021 (अनुलग्नक–2) के अनुसार अपीलार्थी का वेतन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनूं के अधीन वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की व्यवस्था प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई। पत्र दिनांक 18.04.2022 (अनुलग्नक–4) के अनुसार वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 950/2021 में पारित आदेश के अनुसार सुमन मौर्य के वेतन के भुगतान का आदेश किए जाने के कारण दिनांक 11.10.2021 से अपीलार्थी का वेतन इस पद के विरूद्ध आहरित किया जाना बन्द कर दिया गया। वर्तमान में अपीलार्थी जिला अस्पताल, झुंझुनू में नर्स ग्रेड द्वितीय के

विरूद्ध वेतन प्राप्त कर रहा है, इसलिए वह अधिशेष नहीं है। साथ ही अपीलार्थी को नियमानुसार टीए/डीए दिए जाने का अंकन भी आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.09.2022 (अनुलग्नक–1) में नहीं किया गया है, इसलिए उक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त कर हस्तगत अपील को स्वीकार किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी वर्ष 2021 से राजकीय अस्पताल झुंझुनूं में एएनएम द्वितीय के पद के विरूद्ध कार्यरत रही है, परन्तु उसका पद नहीं होने के कारण पहले उसका वेतन प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 22.06.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद के विरूद्ध वेतन आहरित करने की व्यवस्था की गई परन्तु अधिकरण के समक्ष दायर अपील 950/2021 में पारित आदेश की अनुपालना में सुमन आर्य का वेतन उक्त पद के विरूद्ध आहरित किए जाने का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया और पत्र दिनांक 18.04.2022 (अनुलग्नक–4) के अनुसार अपीलार्थी को उक्त पद के विरूद्ध वेतन दिनांक 11.10.2021 से भुगतान किया जाना बंद कर दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी जिला अस्पताल, झुंझुनूं में अधिशेष हो गई। आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जिला अस्पताल झुंझुनूं जो नगरीय सीमा में स्थित है, से अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय, लालसोट, दौसा में किया गया है और अपीलार्थी की सीमा तक इस स्थानांतरण आदेश के जारी करने से पूर्व पंचायतीराज (अंतरित क्रिया–कलाप) नियम, 2011 के अंतर्गत प्रत्यर्थी विभाग को पंचायतीराज विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी इन नियमों के अंतर्गत पंचायतीराज विभाग का अंतरित कार्मिक नहीं है। जहां तक अपीलार्थी को नियमानुसार टीए/डीए नहीं दिए जाने का प्रश्न है, वह आवेदन करने पर अपीलार्थी को यदि वह नियमों के अंतर्गत प्राप्त करने की पात्रता रखता है, तो उसे दिया जाना चाहिए।

5. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह

विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक 300 किमी. दूर स्थानान्तरण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में 2007 (2) डब्ल्यू.एल.सी. राजस्थान पृष्ठ–775, भगवानदास मित्तल बनाम राजस्थान राज्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि दूरी पर स्थानान्तरण की दलीलें स्थानान्तरण की शक्तियों को प्रभावित नहीं करती है।

6. उक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार टीए/डीए दिए जाने की प्रार्थना को स्वीकार कर, उसे नियमानुसार उसके आवेदन करने पर यदि वह पात्रता रखता है, तो उसे टीए/डीए का भुगतान किया जावे। शेष अपील को सारहीन एवं बलहीन होने के कारण, इसे खारिज किए जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
7. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुंद्राकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य